भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5510
26.07.2019 को उत्तर के लिए

गुजरात के तटीय क्षेत्रों में खारापन

5510. श्री रमेशभाई एल॰ धडुक:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पोरबंदर सहित गुजरात के तटीय क्षेत्रों में बढ़ते समुद्री स्तर के कारण खारापन बढ़ रहा है और इससे राज्य में जल कृषि को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मंत्रालय इस संबंध में जल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और गुजरात सरकार के साथ परामर्श करके कोई ठोस नीति तैयार कर रहा है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या केन्द्र सरकार पोरबंदर के तटीय क्षेत्रों में उक्त समस्या के अध्ययन के लिए कोई दल/अधिकारी भेजना चाहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (च) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास गुजरात के तटीय क्षेत्रों में खारेपन के संबंध में कोई आंकड़े नहीं है। मंत्रालय द्वारा प्रशासित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत तटीय जल क्षेत्र में शोधित बहिस्राव के सुरक्षित निस्सारण के लिए जल गुणवत्ता मानदंड (घुलनशील ऑक्सीजन, बैक्टीरिया और भारी धातु आदि) सहित बहिस्राव निस्सारण के लिए विभिन्न मानक निर्धारित किए गए हैं। तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 भी अशोधित अपशिष्ट जल और बहिस्रावों का तट/समुद्र में निस्सारण करने को प्रतिबंधित करती है।

****